राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227275, ई–मेल Seprd123@gmail.com

क्रमांकः एफ 4(124) पराविं/पीसी/जि.प.विश्राग स्थल/ब.घो. /2012/136 जयपुर दिनांकः– 20-01-2016

(प्रशासनिक स्वीकृति कमांकः– 35 /2015–16)

बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के बिन्दू संख्या 92.1.0 की कियान्विति के फलस्वरूप जिला परिषदों में निर्मित किये जाने वाले विश्राम भवनो तथा जिला परिषद कार्यालय भवन निर्माण प्रतापगढ के निर्माण कार्यो के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये राशि रुपये 82.20 लाख (अक्षरे रुपये बियासी लाख बीस हजार मात्र) के आहरण एवं वितरण के लिये मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर को अधिकृत किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार हैः–

मांग संख्या 41

4515:– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
103 :– ग्राम विकास।
(01) :– निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।
[01] :– जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।
16 :– लघु निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रुपये 57.54 लाख।

मांग संख्या 51

4515 :– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
789 :– अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना।
(10) :–निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।
[01] :– जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।
16 :– लघु निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रुपये 13.97 लाख।

मांग संख्या 30

4515 :–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
796 :– जनजातीय क्षेत्र उप योजना।
(11) :– निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।
[01] :– जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।
16 :– लघु निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रुपये 10.69 लाख।

कुल योग **राशि रुपये 82.20 लाख।**

उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाने है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 331500906 दिनांक 07.01.2016 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी की जा रही हैः–

1. आहरण वितरण हेतु अनुमत राशि रुपये 82.20 लाख से अधिक व्यय नही किया जावे, तथा व्यय की गई राशि की सूचना दिनांक 01 अप्रेल 2016 को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करावें।
2. योजना के दिशा निर्देशों तथा राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा. नि. विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त राशि रुपये 82.20 लाख (अक्षरे रुपये बियांसी लाख बीस हजार मात्र) के आहरण हेतु मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोषालय जयपुर शहर) जयपुर को आहरण एवं वितरण अधिकारी अधिकृत करने के संबंध में स्वीकृति जारी करने का श्रम करे।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, राज0 जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि 33 जिला परिषदों में जन सुविधा भवनो एवं जिला परिषद प्रतापगढ के कार्यालय भवन निर्माण कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निर्मित भवनो को जिला परिषदों को सुपुर्द करने के प्रमाण पत्र की प्रति इस विभाग को उपलब्ध कराने का श्रम करावे। इन प्रमाण पत्रों के अभाव में आगामी राशि का आवंटन सम्भव नही हो सकेगा। इस बाबत पूर्व में भी कई बार पत्र लिखकर सूचनाऐं/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है परन्तु सूचनाऐं अप्राप्त रही है। साथ ही इस विषय पर चर्चा हेतु दिनांक 19.01.2016 को आयोजित बीएफसी की बैठक में संबंधित अधिकारी को प्रातः 10.30 बजे संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, सचिवालय के यहाँ उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु कोई भी अधिकारी उपस्थित नही हुऐ।
9. अधीक्षण अभियन्ता,(भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग,राज0 जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त ।
12. प्रोग्रामर (मुख्यालय) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
13. अंक मिलान/सांख्यिकी/रक्षित पत्रावली।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः– प. 4(240) वित्त–(1) आ. व्यय/2014 जयपुर, दिनांकः– 25 जनवरी, 2016

आज्ञा

अतिरिक्त आयुक्त पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 4 (124) परावि/पीसी/जि.प.विश्राम स्थल/बजट घोषणा/2012/136 जयपुर दिनांक 20.01.2016 के क्रम में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर को वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्न बजट मद से राशि रुपये 82.20 लाख (अक्षरे रुपये बियासी लाख बीस हजार मात्र) के आहरण करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या 41
4515:– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
103 :– ग्राम विकास।
(01) :– निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।
[01] :– जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।
16 :– लघु निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रुपये 57.54 लाख।

मांग संख्या 51
4515 :– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
789 :– अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना।
(10) :–निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।
[01] :– जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।
16 :– लघु निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रुपये 13.97 लाख।

मांग संख्या 30
4515 :–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
796 :– जनजातीय क्षेत्र उप योजना।
(11) :– निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।
[01] :– जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।
16 :– लघु निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रुपये 10.69 लाख।

कुल योग **राशि रुपये 82.20 लाख।**

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के लिये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, महालेखाकार से अंक मिलान के कार्य के लिये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को आवश्यक सहयोग देगा। अंक मिलान का दायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का ही होगा।

आज्ञा से

(हस्ताक्षर)
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. कोषाधिकारी (शहर), जयपुर।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)